<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)</u>
पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस)

दावा पत्र संख्या 92/2021 | रजू दिनांक 18.02.2021 | निर्णय दिनांक 25-8-25

उनवान

1. बलबीर पुत्र श्री महादेव उम्र 70 जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

1. मुकेश देवी पत्नि श्री वीरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी रोडवाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज.
2. उप पंजीयक महोदय नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

...प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88,188,189,53
आर.टी.एक्ट

<u>कन्सोलीडेड दावा</u>

दावा रजू दिनांक 20.09.2021

राजस्व वाद सं0 345/2021

उनवान

1. मुकेश देवी उम्र 42 वर्ष पत्नी श्री विरेन्द्रसिह जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादीनी

ब्नाम

1. बलबीरसिंह पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी रोडवाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक,तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,53,188,189 आर0टी0ए0

उपस्थिति– 1. श्री पीताम्बर ऐड० वादी की ओर से
2. श्री मुकेश कुमार यादव ऐड० प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांक–25-8-25

नावली पेश हुई दावा के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं–

वादी ने दावा धारा 88,188,189,53 पेश कर पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 1022 रकबा 0.17 हैक्ट० वाके ग्राम रोडवाल के 6/17 हिस्से का खातेदार वादी व 11/17 हिस्से का खातेदार प्रतिवादनी संख्या 1 है उक्त आराजी बहरोड–कुण्ड रोड से ग्राम रोडवाल में आने वाले रोड पर स्थित है जिसका मिनवादी व प्रतिवादनी संख्या 1 द्वारा रोड से लगते भाग के अनुसार उत्तर से दक्षिण अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर पिछले काफी वर्षों से

उपखण्ड अधिकारी (कोटपूतली–बहरोड)

बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिसके मुताबिक उक्त खसरा नं० के तरफ पश्चिम में 6/17 मिनवादी का है तरफ पूर्व 11/17 हिस्सा प्रतिवादनी संख्या 1 का है इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा मिन वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर दुकानों का निर्माण कर रखा है जिसमें मिनवादी के लड़के शशीकांत द्वारा राशन वितरण की दुकान कर रखी है।

2. मिनवादी द्वारा आराजी मुतनाजा में अपने खातेदारी हिस्से की भूमि को रूपान्तरण करवाना चाहता है लेकिन आराजी मुतनाजा मिनवादी व प्रतिवादनी संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज होने से भूमि के रूपान्तरण कानूनी अड़चन आ रही है। जिसके लिए मिनवादी द्वारा प्रतिवादनी को मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक अलग–अलग खाता बंदी करवाने के लिए काफीबार कह चुका है लेकिन प्रतिवादनी सहमत नहीं होती है। और अब दिनांक 13.02.2021 को प्रतिवादनी ने मिनवादी को धमकी दी है कि मैं रखाराजी मुतनाजा का तकास्मा नही करवाउंगी और मैं अपने हिस्से का बेचान बिना तकास्मा करवाए ही दिगर जगह करूंगी इसलिए मिनवादी द्वारा यह दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिकी किये जाने की प्रार्थना की है:–

डिकी तकसीम आराजी इस अमर की जारी की जावे की आ.ख.न. हाल 1022 रकबा 0.17 ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना के मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक हिस्सा 6/17 पश्चिम का अलग से तकास्मा किया जाकर उसका खातेदार मिनवादी को व 11/17 तरफ पूर्व का अलग से तकास्मा किया जाकर उसका खातेदार प्रतिवादनी संख्या 1 को अलग–अलग खाताबंदी की जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड में किया जावे व इसी अनुसार तितम्बा काटा जाने का आदेश फरमाया किया जावे व हाल राजस्व नक्शा में इसी अनुसार जावे।

डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी जारी कर प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबंद किया जावे कि जब तक आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक विधिवत रूप से तकास्मा अलग–अलग खाताबंदी नहीं हो जावे तब तक आराजी मुतनाजा के किसी भी विशेष भाग पर जबरन कब्जा कर उसे अपना बताकर दिगर जगह रहन बय से मुंतकिल नहीं करें जबरन कब्जा करें ना हीं कच्चा पक्का निर्माण करें ना कोई दस्तावेज पंजीबद्ध करें मौका रिकोर्ड की यथास्थित बनाए रखें।

खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि वादी का वाद कतई गलत है स्वीकार नहीं है वाद में गलत तथ्य दर्ज किये हैं वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी के सालिम हिस्से का वादी खातेदार था जिसने उक्त आराजी में 11/17 हिस्सा तरफ पश्चिम जिसमें वादी द्वारा निर्मित दुकान निर्मित थी उस दुकान की अलग से कीमत लेकर दुकान सहित तरफ पश्चित के हिस्से का मौके पर कब्जा देकर व बेचान की चुकता रकम प्राप्त कर मिनप्रतिवादनी को बेचान किया गया था मौके पर कोई बंटवारा नहीं किया है। वादी ने 11/17 हिस्से का तरफ पश्चिम का बेचान कर मौके पर कब्जा दिया गया था। वादी द्वारा बेचान के बाद वादी के द्वारा कोई राशन की दुकान नहीं चला रहा है बल्कि अपने पुराने मकान में राशन की दुकान चला रहा है वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है वादी का वाद खारिज योग्य है। बयनामा के मुताबिक व मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक ही तकास्मा किया जा सकता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वाद वादी मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

4. जवाब प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमा बंदी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 450 पर आराजी खसरा नं0 1022 रकबा 0.17 हैक्ट० में वादी बलबीर 6/17 भाग का व प्रतिवादी संख्या 1, 11/17 हिस्से की खातेदार दर्ज है। जिससे साबित है कि उक्त आराजी वादी व प्रतिवादनी संख्या 1 की सहखातेदारी की है। फोटो प्रति बयनामा दिनांक 19.11.2020 के अनुसार वादी ने प्रतिवादिया संख्या 1 को 11/17 हिस्सा तरफ पश्चिम दिशा की ओर खसरा नं० हाल 1023 की डोल से लगते हुए का बेचान किया जाना दर्शित है। सहखातेदारी की आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड बाद करे कायमी बंटवारा किया जाना न्याय संगत है। बाद सुनवाई उक्त वाद दिनांक 16.02.2022 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को मौके पर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिए गए। तहसीलदार नीमराना द्वारा मौके पर कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट अपने पत्रांक/भू0अ0/कुर्रे जात/2022/470 दिनांक 04.03.2022 कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की गई।

5. कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषकगण ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार ही वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर उक्तानुसार आराजी का तकासमा किए जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न कुर्रे कायमी रिपोर्ट एवं जमाबन्दीयात का अवलोकन किया। कुर्रे कायमी रिपोर्ट के संलग्न मौका पर्चा तैयार किया गया वह भी संलग्न किया गया है। जिस मौका रिपोर्ट पर सरपंच, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर है तथा पटवारी हल्का एवं मौके पर उपस्थित कंवर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार, दयाराम पुत्र प्रभुदयाल, हरद्वारी पुत्र खेमचन्द, अमर सिंह पुत्र रामप्रसाद, धर्मपाल पुत्र जोरावर, रामनिवास पुत्र रामप्रसाद, बस्तीराम पुत्र नित्यानंद आदि के हस्ताक्षर है। कुर्रे कायमी रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से कुर्रे कायमी रिपोर्ट की पुष्टि होती है जिसमे कोई खामी प्रतीत नही होती हैं। इसलिए न्यायहित में मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के वाद वादी बाबत तकासमा आराजी किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैं कि–

वाद वादी बाबत् तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिए जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख आराजी वाके ग्राम रोडवाल उनके कब्जे काश्त खातेदारी में निम्नानुसार रहेगी –

क्र. सं.	नाम खातेदार मय वलदियत	खसरा नम्बर	रकबा
1	मुकेश देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी रोडवाल खातेदार	1022/1 (तरफ पश्चिम)	0.11 है0
2	बलबीर पुत्र महादेव जाति अहीर सा0 रोडवाल खातेदार	1022/2 (तरफ पूर्व)	0.06 है0

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल लेख दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25-8-25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या 92/2021 | रजू दिनांक 18.02.2021 | निर्णय दिनांक 25-8-25

उनवान

1 बलबीर पुत्र श्री महादेव उम्र 70 जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

2 मुकेश देवी पत्नि श्री वीरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी रोडवाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज.
3 उप पंजीयक महोदय नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
4 लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

...प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88,188,189,53
आर.टी.एक्ट

कन्सोलीडेड दावा

राजस्व वाद सं0 345/2021 दावा रजू दिनांक 20.09.2021

उनवान

1 मुकेश देवी उम्र 42 वर्ष पत्नी श्री विरेन्द्रसिह जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादीनी

बनाम

2 बलबीरसिंह पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी रोडवाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3 उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक,तकसीम आराजी एवं
हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा
88,89,53,188,189 आर0टी0ए0

उपस्थिति– 1. श्री पीताम्बर ऐड० वादी की ओर से
2. श्री मुकेश कुमार यादव ऐड० प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

–: पर्चा डिक्री :–

वाद वादी बाबत् तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिए जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख आराजी वाके ग्राम रोडवाल उनके कब्जे काश्त खातेदारी में निम्नानुसार रहेगी –

क्र. सं.	नाम खातेदार मय वलदियत	खसरा नम्बर	रकबा
1	मुकेश देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी रोडवाल खातेदार	1022/1 (तरफ पश्चिम)	0.11 है0
2	बलबीर पुत्र महादेव जाति अहीर सा0 रोडवाल खातेदार	1022/2 (तरफ पूर्व)	0.06 है0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पृथ्क–पृथ्क खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हों।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना